

**कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल- 462004**

क्रमांक / /आउशि/अकादमी/2025, भोपाल, दिनांक 27 जून , 2025
प्रति,

1. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश
2. प्राचार्य,
समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश

विषय:- सत्र 2025-26 में स्नातकोत्तर कक्षाओं में मेजर एवं माइनर विषय के विषय के अतिरिक्त अन्य विषय में प्रवेश के संबंध में दिशा- निर्देश ।

-0-

सत्र 2025-26 में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारण के आयोजन के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे :-

- मेजर एवं माइनर विषय के विषय के अतिरिक्त अन्य विषय में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु इच्छुक विद्यार्थी उच्च शिक्षा विभाग के ई प्रवेश पोर्टल पर दिनांक 30 जून 2025 तक आवेदन कर सकेंगे। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार विभिन्न संचार एवं प्रिंट मीडिया के माध्यमों से किया जाये ।
- विश्वविद्यालयों द्वारा विषयवार साक्षात्कार आयोजित कर पात्रता निर्धारित की जाये ।
- विद्यार्थी का आवेदन पत्र चयनित विश्वविद्यालय हेतु एडमिट कार्ड के रूप में मान्य किया जाए ।
- विद्यार्थी का एप्लीकेशन आईडी ही उनका रोल नम्बर निर्धारित किया जाए ।

गतिविधि एवं समय सीमा निम्नानुसार निर्धारित है :-

क्र.	गतिविधि	समय सीमा
1.	विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के लॉगिन पर विद्यार्थियों की सूची उपलब्ध होगी तथा विद्यार्थियों को एस.एम.एस. के माध्यम से सूचना दी जाएगी ।	01 जुलाई 2024
2	प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा सभी विषयों के लिये विषयवार साक्षात्कार की तिथि	02 एव 03 जुलाई 2025
3	विद्यार्थियों को साक्षात्कार की सूचना (तिथि, समय, स्थान)	4 जुलाई 2025

-- 2 --

क्र.	गतिविधि	समय सीमा
4	पात्रता के निर्धारण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विषयवार साक्षात्कार आयोजन	10 एवं 11 जुलाई 2025
	विश्वविद्यालय पात्रता प्रमाण पत्र जारी किये जाने की अवधि	10 एवं 11 जुलाई 2025
6	विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम उच्च शिक्षा विभाग के ई-प्रवेश पोर्टल पर अपलोड करना (पात्र विद्यार्थियों के नाम के समक्ष चेक बॉक्स पर क्लिक करने पर डाटा अपलोड हो जायेगा)	11 जुलाई 2025
7	ई-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से सीटों का आवंटन	12 जुलाई 2025

उक्तानुसार समय-सीमा में उक्तानुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित की जावे ताकि मेजर एवं माइनर विषय के अतिरिक्त अन्य विषय में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए इच्छुक विद्यार्थी प्रवेश से वंचित न रहें एवं इस प्रक्रिया से लाभान्वित हो सकें ।

(निशांत वरवड़े)

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ.क्र. / /आउशि/अकादमी/2025, भोपाल, दिनांक /06/2025

- 1- विशेष सहायक माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष विभाग, म.प्र. भोपाल ।
- 2- स्टाफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय,भोपाल।
- 3- निज सहायक, कुलगुरु, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश ।
- 4- समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश